

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 5.000)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

क्षेत्राधिकारी
जनगण राजि

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पौड़ी

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एंड सैयम वन प्रभाग
पौड़ी

अभिज्ञाती अभियन्ता
निर्माण खण्ड
लो०नि०वि० पौड़ी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी उप जल निकाय